उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

क0नि0-2- 763/ग्यारह-9(12)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(7)-2008

दिनांक: 04 मार्च, 2008

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, अधिसूचित करते हैं कि दिनांक 04 मार्च, 2008 से एवं धारा-34 के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन किसी संकर्म संविदा के अनुसरण में संदेय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन हेतु किसी संविदाकार को भुगतान करने का उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, संविदाकार को, चाहे उधार या नकद या अन्य रीति से, भुगतान करते समय ऐसे सकल धनराशि से 4 प्रतिशत के बराबर की धनराशि की कटौती करेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिसूचना किसी संविदाकार और;

1. केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार; या
2. किसी स्थानीय प्राधिकारी; या
3. किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी निगम या उपक्रम; या
4. किसी कम्पनी; या
5. किसी सहकारी समिति या अन्य समिति, क्लब, फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम, चाहे वह निगमित या अनिगमित हो; या
6. किसी विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं एवं प्रशिक्षण केन्द्र; या
7. विक्रय अथवा अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये (व्यक्तिगत उपयोग हेतु निर्मित मकान एंव भवन को छोड़कर) किसी भवन, दुकान, अपार्टमेन्ट, मकान आदि के निर्माण में संलग्न किसी अन्य व्यक्ति।

के मध्य संकर्म संविदा से भिन्न संविदा पर लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

(गोविन्दन नायर)

प्रमुख सचिव